MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR
(A Govt. Aided UGC Autonomous & NAAC Accredited Institute Affiliated to RGPV, Bhopal, M.P.)
Gola ka Mandir, Gwalior (M.P.)- 474 005, INDIA
Ph.: +91-751-2409300, Fax: +91-751-2664684, e-mail: director@mitsgwalior.in, website: www.mitsgwalior.in
WORK IS WORSHIP
Estd. 1957

क्रमाँकः छा. शा. / 2023 / 03 दिनाँक :09 / 01 / 2023

सूचना

सत्र 2022–23 में नियमित अध्यनरत अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के छात्र / छात्राऐं जो आवास सहायता राशि हेतु योग्यता रखते है को सूचित किया जाता है कि वे अपने आवास सहायता के आवेदन पत्र दिनाक 31 / 01 / 2023 तक आवश्यक रूप से पोर्टल पर (**MPTAAS Portal / scholarship portal 2.0**) लॉक करना सुनिशिचत करें ।

निर्धारित तिथि तक, सत्र 2022–23 के आवास सहायता के आवेदन लॉक न करनें वाले छात्र / छात्राऐं यदि आवास सहायता राशि प्राप्त करने से वंचित रहते है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं सम्बधित छात्रों की होगी ।

छात्र / छात्राऐं निम्नलिखित दस्तावेजों को क्रमानुसार संलग्न कर दो प्रतियों में संस्था में भी आवश्यक रूप से जमा करना सुनिशिचत करें ।

1. पासपोर्ट साईज फोटो।
2. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र।
3. आय प्रमाण पत्र (अगर पिता–माता शासकीय सेवा में हों तो संस्था प्रमुख द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र जिस पर जावक क्रमाँक एवं दिनाँक अंकित हो एवं माह मार्च 2021 में जारी किया गया हो।) अथवा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
4. मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं स्वयं का सक्रिय आधार कार्ड।
5. शा॰ छात्रावास अधीक्षक ग्वालियर, में स्थान रिक्त न होने का प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है ।
6. पिछली समस्त अंकसूचियाँ।
7. प्रवेश स्लिप (प्रथम वर्ष के छात्र) अथवा रजिस्ट्रेशन की रसीद (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ष के छात्र)।
8. स्थानांतरण प्रमाण पत्र, गैप प्रमाण पत्र (प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए) ।
9. सत्र 2022–23 की शिक्षण शुल्क की रसीद।
10. आधार आधारित, एन सी पी आई से लिंक बैंक पास बुक।
11. जो मकान किराए से लिया है उस मकान मालिक द्वारा छात्र के रहने समधी शपत-पत्र (किराया नामा)
12. छात्र द्वारा माता–पिता का शपथ–पत्र की ग्वालियर नगर निगम सिमा में मेरा एंव सम्बधित का कोई मकान नहीं है ।
13. पुलिस वैरिफिकेशन ।
14. जो मकान किराए से लिया है उस भवन की हाऊस टैक्स की रसीद की छायाप्रति।
15. मकान मालिक को भुगतान किए गए किराए की रसीद की छायाप्रति।
16. समग्र आइ डी की छायाप्रति।

नोट :

- उक्त समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें तथा एक प्रति स्वयं के पास सुरक्षित रखें।
- आवेदन पत्र में केवल सही जानकारी ही भरें ।
- बैंक खाते की जगह अपने बैंक खाते की ही जानकारी भरें।
- सभी दस्तावेजों को स्वयं अभिप्रमाणित करें।
- **ऐसे सभी छात्र / छात्राए जो छात्रावास में निवास करते हों तो वह आवास सहायता योजना के पात्र नहीं होंगे।**

9/1/2023
(प्रो. / डॉ. प्रतेश जायसवाल)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधीश, जिला ग्वालियर।
2. सहा. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, शारदा विहार, ग्वलियर।
3. नोडल अधिकारी (अनुसूचित जाति / जनजाति) – प्राचार्य, डॉ. भीमराव अंबेडकर पॉलेटेक्निक विद्यालय, ग्वालियर।
4. वैब मैनेजर, एमआईटीएस, webside पर अपलोड करने हेतु ।
5. समस्त सूचना पटल।
6. रजिस्ट्रार ।
7. निदशक कार्यालय।
8. सम्बधिंत फाईल ।